"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146-अ ]    रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2002—ज्येष्ठ 24, शक 1924

### वित्त तथा योजना विभाग

### [ वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) ]

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/60/2002/वाक (आब)/पांच (69).—छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) (ज) (दो) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप नियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (4) में दर्शाये अनुसार वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस तत्स्थानी कालम (2) में वर्णित अनुज्ञप्तियों के लिये निर्धारित करती है :—

### सारणी

| क्र. (1) | अनुज्ञप्ति का प्रकार (2) | | मापदण्ड (3) | वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | एफ. एल.-2 अनुज्ञप्ति (सार्वजनिक गृह या रेस्टारेंट बार अनुज्ञप्ति). | (क) | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो, | रु. 1,50,000/- |

| (1) | (2) | | (3) | | (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (ख) | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, एवं | रु. 1,75,000/- |
| | | | (ग) | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो. | रु. 2,00,000/- |
| 2. | एफ. एल.-3 (हॉटल बार अनुज्ञप्ति) | अनुज्ञप्ति | (क) | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक न हो, | रु. 2,50,000/- |
| | | | (ख) | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक किन्तु तीन लाख से अधिक न हो, एवं | रु. 3,00,000/- |
| | | | (ग) | ऐसे नगर/स्थान के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो. | रु. 3,50,000/- |

2. नगर की सीमा से 10 कि. मी. परिधि में स्थित हॉटल/रेस्टॉरेंट के लिए अनुज्ञप्ति फीस वही होगी जो उस नगर के लिए लागू हो.

3. यह अधिसूचना दिनांक 15 जून, 2002 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2002

क्रमांक एफ 10/60/2002/वाक (आब)/पांच (69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/60/2002/वाक (आब)/पांच (69), दिनांक 14-6-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,<br>
**के. आर. मिश्रा**, उप-सचिव.

Raipur, the 14th June 2002

NOTIFICATION

No. F 10/60/2002/CT (Ex.)/V(69).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (h) (ii) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) read with sub-rule (2) of rule 8 of the Chhattisgarh foreign liquor Rules, 1996 the State Government, hereby, prescribes the annual licence fees as shown in column (4) of the table below for different kinds of licences mentioned in the corresponding entry in column 2 thereof :—

TABLE

| S. No. (1) | Kind of Licence (2) | | Population/membership (3) | Licence Fees (4) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | FL-2 Licence (Public house or Restaurent Bar Licence). | (a) | For a town/place of which the population does not exceeds one lac, | Rs. 1.50,000/- |
| | | (b) | For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceeds three lac, and | Rs. 1,75,000/- |
| | | (c) | For a town/place of which population exceeds three lac. | Rs. 2.00,000/- |
| 2. | FL-3 Licence (Hotel Bar Licence) | (a) | For a town/place of which the population does not exceeds one lac. | Rs. 2.50,000/- |
| | | (b) | For a town/place of which the population exceeds one lac but does not exceeds three lac. and | Rs. 3,00,000/- |
| | | (c) | For a town/place of which population exceeds three lac. | Rs. 3,50,000/- |

2. For the hotels/restaurants situated within a radius of 10 km. of the boundary of a town the licence fee will be the same as applicable to such town.

3. This Notification shall come into force with effect from 15th June 2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.